बिल का संक्षिप्त विश्लेषण

रेलवे (संशोधन) बिल, 2014

7 अगस्त, 2014 को लोक सभा में रेलवे (संशोधन) बिल, 2014 पेश किया गया था।

इसे 16 सितम्बर, 2014 को रेलवे संबंधी स्थायी समिति के पास विचारार्थ भेजा गया था।

प्राची मिश्रा
prachee@prsindia.org

13 फरवरी 2015

बिल की मुख्य विशेषताएँ

- रेलवे (संशोधन) बिल 2014, रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करता है।
- बिल चलती रेलगाड़ी (ट्रेन) से इन स्थितियों में गिरने को "गिरने की दुर्घटना" से हटाने का प्रावधान करता है: (i) ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय (ii) ट्रेन के दरवाज़े के निकट खड़ा होने से (iii) ट्रेन की छत/फुट बोर्ड पर यात्रा करने से।
- बिल स्पष्ट करता है कि यात्रियों की लापरवाही, आत्महत्या की कोशिश जैसी स्थितियों के कारण "गिरने की घटनाओं" में मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- यह तर्क दिया जा सकता है कि गिरने की कुछ स्थितियों को बिल के दायरे से हटा लिये जाने से गिरने की कई दुर्घटनाओं में मुआवज़ा नहीं मिल पायेगा। इनमें अत्याधिक भीड़ के कारण ट्रेन के फ़ुटबोर्ड से गिरना या सिर्फ दो मिनट के ठहराव में चढ़ने के दौरान गिरना भी शामिल हैं।
- रेलवे, यात्रियों की लापरवाही के आधार पर गिरने की दुर्घटनाओं में मुआवज़ा देने से इन्कार कर सकती है, जबतक कि यात्री यह साबित नहीं करता कि उसने गिरने से बचने का पूरा ध्यान रखा था। यह प्रावधान अन्य परिवहन क़ानूनो से अलग है जिनमें लापरवाही साबित करने संबंधी ज़िम्मेदारी यात्री पर नहीं होती।

भाग अ: बिल की मुख्य विशेषताएँ[1]

संदर्भ

रेलवे एक्ट 1989 भारतीय रेलवे के संचालन और प्रशासन के विभिन्न पक्षों का नियमन करता है। दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं के संदर्भ में क़ानून कहता है कि रेलवे प्रशासन मृत्यु और घायल होने की स्थिति में यात्रियों को मुआवज़ा देगा।[2] 1987 तक दुर्घटनाओं और सामान के नुकसान के मुआवज़े से संबंधित सभी मामलों को सीधे रेलवे प्रशासन निपटाता था। रेलवे दावा अधिकरण क़ानून 1987 के तहत मुआवज़ो से संबंधित दावों को निश्चित समय-सीमा में निपटाने के लिए रेलवे दावा अधिकरण (क्लेम ट्राइब्यूनल) का गठन किया गया।[3]

रेलवे (संशोधन) बिल 2014, रेलवे अधिनियम, 1989 को संशोधित करता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार फ़र्ज़ी और ग़लत दावे दायर करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और गिरने की दुर्घटनाएं यात्रियों की लापरवाही से हुई है। बिल इन मुद्दों का समाधान चाहता है।

मुख्य विशेषताएँ

यह बिल रेलवे अधिनियम (एक्ट), 1989 में संशोधन करता है जिससे (i) रेलवे प्रशासन को, जहां दुर्घटना हुई है क्लेम्स ट्राईब्यूनल के समक्ष एक पक्ष (पार्टी) बनाया जा सके; "गिरने की दुर्घटना" को परिभाषित करता है ताकि चलती ट्रेन, फ़ुट बोर्ड इत्यादि से गिरने जैसी स्थितियों को इससे हटाया जा सके और (iii) उन स्थितियों का उल्लेख करता है जिनमें गिरने की दुर्घटना के लिए मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा।

तालिका 1: एक्ट के प्रावधानों की तुलना में बिल में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव

	रेलवे एक्ट, 1989	रेलवे (संशोधन) बिल 2014
गिरने की घटना	गिरने की दुर्घटना भी अप्रिय घटनाओं की परिभाषा में शामिल है।	गिरने की घटना अप्रिय घटनाओं से अलग कर दी गयी है। इन स्थितियों में चलती ट्रेन से गिरने की घटनाओं को हटाकर इसे अलग से परिभाषित किया गया है; जैसे ट्रेन में चढ़ते वक़्त, दरवाज़े के निकट खड़े होने से, फ़ुटबोर्ड/ ट्रेन की छत पर यात्रा करने से गिरना या जानबूझकर अथवा लापरवाही से अन्य लोगों की सुरक्षा जोखिम में डालना।

	रेलवे एक्ट, 1989	रेलवे (संशोधन) बिल 2014
मुआवजे के लिए दावों की फाइलिंग	क्लेम्स ट्राईब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में दावा दायर किया जा सकता है, यह अधिकार क्षेत्र हैं: (i) जहां टिकट खरीदा गया था, (ii) जहां दुर्घटना हुई, या (iii) गंतव्य स्टेशन।	दावा दायर करने की प्रक्रिया समान है। एक प्रावधान जोड़ दिया गया है कि जहां दुर्घटना हुई है वहांका रेलवे प्रशासन सभी मामलों के लिए क्लेम्स ट्राईब्यूनल के समक्ष एक पक्ष (पार्टी) बनाया जाएगा।
रेलवे प्रशासन का दायित्व/ जवाबदेही	रेलवे प्रशासन अप्रिय घटनाओं के लिए, ग़लती का विचार किए बिना, मुआवज़ा देता है। इन स्थितियों में मुआवज़ा नहीं मिलेगा: (i) आत्महत्या, (ii) आपराधिक कृत्य (iii) नशे की हालत में हुई गतिविधि या (iv) स्वाभाविक या चिकित्सकीय कारण	अप्रिय घटनाओं के मामले में समान जवाबदेही रहेगी। यात्रियों की लापरवाही, आत्महत्या की कोशिश, ख़ुद को चोट पहुँचाने, आपराधिक कृत्य और नशे/पागलपन की हालत में हुई गिरने की दुर्घटनाओं में मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा।
प्रमाणित करने का भार	गिरने सहित अप्रिय घटनाओं में लापरवाही साबित करने संबंधी ज़िम्मेदारी यात्रियों की नहीं है।	यात्रियों की लापरवाही के कारण हुई गिरने की दुर्घटनाओं में यात्री को साबित करना होगा कि उसने दुर्घटना से बचने का हर संभव उपाय किया।

स्रोत: रेलवे एक्ट , 1989; रेलवे (संशोधन) बिल 2014; पीआरएस.

भाग ब: प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

गिरने की दुर्घटनाः परिभाषा और यात्रियों पर प्रमाणित करने का भार

गिरने की दुर्घटना की परिभाषा के कारण अधिकांश मामले बिल के दायरे में नहीं आयेंगे

एक्ट: क्लॉज़ 123 (स)
बिल: क्लॉज़ 3

एक्ट 'अप्रिय घटनाओं' की परिभाषा में (i) आतंकवादी गतिविधियों (ii) हिंसक हमला या डकैती, (iii) दंगा, गोलीबारी या आगज़नी (iv) यात्री-गाड़ी से किसी यात्री के अचानक बाहर गिर जाने को शामिल करता है। बिल 'गिरने की दुर्घटना' को अप्रिय घटना की परिभाषा से हटाता है। यह 'गिरने की दुर्घटना' को अलग परिभाषित करता है, ताकि ट्रेन से इन स्थितियों में गिरने को इसके दायरे से हटाया जा सके: (i) चलती ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय (ii) चलती ट्रेन का दरवाज़ा खोलने या निकट खड़े रहते समय (iii) लापरवाही या जान बूझकर अन्य यात्रियों की सुरक्षा ख़तरे में डालते समय (iv) ट्रेन की छत, सीढ़ियों या इंजन पर यात्रा करते समय।

यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि बिल के दायरे से "गिरने की दुर्घटना" की इन स्थितियों को हटा लेने से गिरने के कई मामलो में मुआवज़ा नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर इन स्थितियों में गिरने पर भी यात्री मुआवज़े का हक़दार नहीं होगा: (i) अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली ट्रेन (उपनगरीय रेलगाड़ियों सहित) के फ़ुटबोर्ड या छत पर यात्रा करते समय या (ii) दो मिनट के ठहराव वाले स्टेशन पर या खचाखच भरी ट्रेन से चढ़ते या उतरते समय।

इस पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि रेल सेवा में भारतीय रेलवे का एकाधिकर है। ऐसे में यदि अपर्याप्त क्षमता के कारण ट्रेन खचाखच भरी है या पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियाँ नहीं है तो हो सकता है कि यात्री के पास यात्रा के लिए कोई अन्य विकल्प भी नहीं हो।

यह प्रमाणित करने का भार और दायित्व यात्री पर है कि गिरने की दुर्घटना उसकी लापरवाही के कारण नहीं हुई

एक्ट: क्लॉज़ 124 (अ)
बिल: क्लॉज़ 4

क़ानून के तहत रेलवे प्रशासन, ग़लती पर विचार किए बिना गिरने की दुर्घटनाओं में मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है। बिल कहता है कि रेलवे, यात्रियों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवज़ा देने से इंकार कर सकता है, जबतक कि यात्री यह साबित न कर दे कि उसने दुर्घटना से बचने का हर संभव उपाय किया। यह प्रावधान अन्य परिवहन क़ानूनों से अलग है जिनमें लापरवाही साबित करने संबंधी दायित्व यात्री पर नहीं होता।

मोटर वाहन क़ानून, 1989 के तहत दुर्घटना के मामले में पीड़ित को उसकी ग़लती का विचार किये बिना मुआवज़ा मिलता है।[4] हवाई यातायात का नियमन करने वाले कैरियज बाई एयर एक्ट 1972 के अनुसार यदि यह साबित कर दिया जाता है कि दुर्घटना से बचने का हर ज़रूरी उपाय किया गया तो विमान कंपनी मुआवज़ा देने के लिए बाध्य नहीं है, दुर्घटनाग्रस्त की लापरवाही से दुर्घटना साबित हो जाने पर विमान अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो सकता है।[5]

Notes

1. This Brief has been written on the basis of the Railways (Amendment) Bill, 2014 which was introduced in Lok Sabha on August 07, 2014. The Bill was referred to the Standing Committee on Railways on September 16, 2014.
2. The Railways Act, 1989, Chapter XIII.
3. The Railways Claims Tribunal Act, 1987, Chapter II, Clause 3.
4. The Motor Vehicle Act, 1989, Section 140.
5. The Carriage by Air Act, 1972, Chapter III, Clauses 20, 21.

यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गयी थी। हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। हिंदी रूपांतर में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।